जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य आूरी दलित अधिकार प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ के दफा ५.२ अनुसार जिल्ला समन्वय समिति के काम कर्तव्य औरी अधिकार देहाय बमोजिम होखेला ।

क) दलित के हक हित संरक्षण आ प्रवर्धनका लागी जिल्ला मे संचालित कार्यक्रम के प्रभावकारी कार्यान्वयन के खातिर आवश्यक सहयोग सहजिकरण समन्वय औरी अनुगमन करेके ।

ख) दलित के हक संरक्षण आ हित प्रवंधन के खातिर स्थानिय स्तर मे प्रचार प्रसार औरी पैरवी करेके ।

ग) दलित के हक संरक्षण आ हित प्रवंधन खातिर स्थानिय तहमे देखा परल पर बाधा अवरोध निराकरण करेके ।

घ) दलित उपर के भेदभाव विरुद्ध के कानुन कार्यान्वयन करे खातिर सहयोग करेके आ सहयोग करावेके ।

ङ) दलितके हक संरक्षण आ हित प्रवर्धन के खातिर राष्ट्रिय स्तरमे करेवाला काम के खातिर राष्ट्रिय समन्वय समिति के रिर्पोटिङऔरी पुष्ठ पोषण देवेके खातिर ।

च) जिल्ला प्रहरी कार्यालय और इलाका प्रहरी कार्यालय मे दलित के हक संरक्षण आ हित प्रवर्धन के खातिर अलगे किसम के डेस्क स्थापना करेके व्यवस्था मिलावे खातिर

छ) सम्वन्धीत जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, आ गाउपालिका के दलित के हक संरक्षण और हित प्रवंधनके सम्वन्धमे अपन अपन कार्य क्षेत्र भीतर सञ्चालित सब गतिविधी के विषय मे अलग अभिलेख राखेके औरी जिल्ला समन्वय समिति के आगे नियमितरुपसे प्रतिवेदन देवे के व्यवस्था मिलावे के खातिर ।

ज) स्थानिय स्तरमे दलितके हक, हित संरक्षण औरी प्रवंधन के खातिरकरेवाला आवश्यक औरी काम करे खातिर ।

नेपाल प्रहरी र मानव अधिकार संरक्षण

व्यक्ति के मानव अधिकार संरक्षण मे प्रहरी के महत्वपुर्ण भुमिका होखेला । नेपाल प्रहरी के उदेश्य अनुसार प्रहरीके सेवा कानुनी राज्य के अवधारण अनुसार समाज मे प्रभावकारी अपराध नियन्त्रण औरी अनुसन्धान के द्वारा शान्ति स्थापना करे के खातिर आ मानव अधिकार के संरक्षण कईल जाइला ।सामाजमे सुव्यवस्था औरी अपराध नियन्त्रण करे के नियम कानुन के पालन करे के प्रहरी के दायीत्व ह । नेपाल प्रहरी के कानुन मे भइल व्यवस्था के सम्मान करे के ओकरा के पुर्ण रुपमे लागु करा के नागरीक के मानव अधिकार के संरक्षण कइल जाला । उदाहरण के खातिर कौनो व्यक्ति के अनुसन्धान के खातिर पकडे से पहले पकडेवाला पुर्जी देखा के पकडे के कानुन के सम्मान ह । यी कवनौ जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत बोक्सी आरोप मे होखे वाला हिसां चाहे जइसन अपराध मे पिडित व्यक्ति न्याय के खातिर जाहेरी दरखास्त दिते तुरन्त दर्ता कर क प्रकृया अगाडी बढ़ावल कानुन के कार्यान्वयन होखेला । कानुन के नजरमे सब लोग समान होखेला कहल मान्यता प्रहरी के भी प्रहरी के भी आत्मसात करे के परेला ।

नेपाल प्रहरी मानव अधिकार इकाइ

प्रहरीके मानव अधिकार प्रतिके जवाफ देहिता सुनिश्चित करेके खातिर आ मानव अधिकार के संरक्षण औरी प्रवर्द्धन के खातिर विशेष रुप से काम वि.स. २०५९ माघ २गते से नेपाल प्रहरी मानव अधिकार इकाइ रहेवाला व्यवस्था कइल वा । केन्द्र से हरेक जिल्ला अञ्चल क्षेत्र मे प्रहरी कार्यालय मे मानव अधिकार उल्लंघन करेवाला के न्यायीक कठघेरा मे ल्यावे के काम यी इकाइके पहिलका काम ह ।

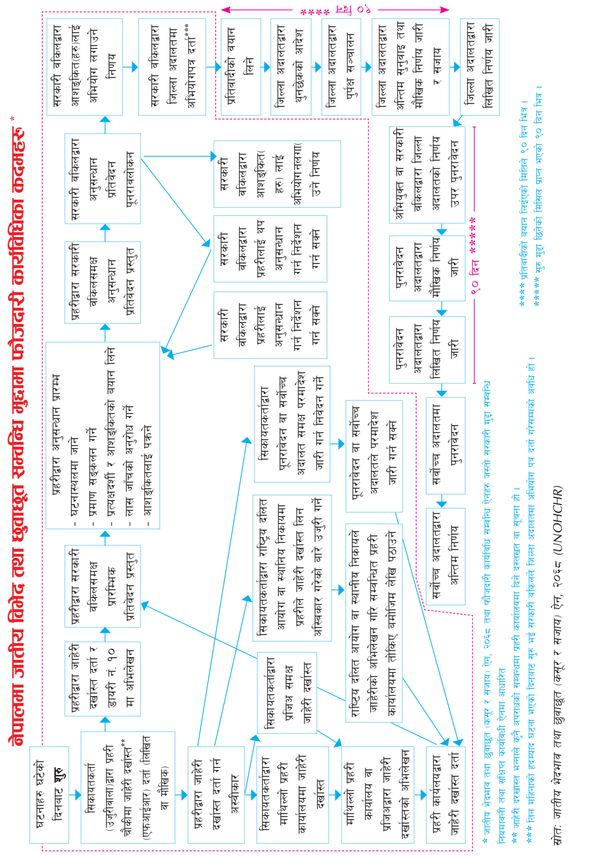

स्रोत: जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ (UNOHCHR)

मानव अधिकार र आत्मसम्मानका लागि सामुहिक आवाज परियोजना

जाहेरी दरखास्त: सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन २०४९ के अनुसुचि १ मे लिखित कइल कही भी भइल चाहे होरहल अपराध पता लगते कवनौ व्यक्ति अपराध के वारे मे जाहेरी दरखास्त देसकता ।

सरकार वादी मुद्धा होसकेवाला अपराध मे पिडित के न्याय के खातिर प्रहरी मे जाहेरी दरखास्त दिला के वाद न्याय दिवेवाला प्रक्रिया सुरु होजाला । घटना भइलके वाद पिडित चाहे ओकरा वारे मे जानकारी राखेवाला व्यक्ति प्रहरी चौकी मे जाहेरी दरखास्त देवे के परी । प्रहरी जाहेरी दरखास्त के डायरी नं १० मे अभिलेख राखलाके वाद मे अनुसन्धान शुरु होखेला ।प्रहरी खोज तलास सहित के प्रतिवेदन सरकारी वकिल अदालत मे अभियोग पत्र दर्ता गरेला ।ओकरे अनुसार सुनवाइ तथा अदालतमे निर्णय औरी फैसला जइसन कावांही होखेला ।

प्रहरी के करेवाला खोजतलास पुर्ण रुप से औरी निश्पक्ष रुप मे कइला के वाद पिडित के न्याय मिलेके संम्भावना वढ़जाला ।एकरा खातिर प्रहरी के पुर्ण रुप से सुचना औरी प्रमाण उपलब्ध करेवाला कवनो किसम के हिचकिचाहट ना होखे के परी । जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत घरेलु हिसां लगायत अपराध सब सरकार वादी मुद्दा हउवे ऐसे सरकार पिडित के पक्ष मे मुद्दा लडेके परेला ।

प्रहरी के सुचना देवे के परी

प्रहरी से सेवा लेवे के खातिर नागरीक लोग प्रहरी मे उजुरी करे के परी औरी सुचना देवे के परी । कवनो व्यवस्था मे कवनो व्यक्ति होखो चाहे कवनो व्यक्ति डर, धाख, त्रास मिलल अवस्था मे सहयाता के खातिर निजका रहल प्रहरी के सम्पर्क कईल जासकता ।१०० मे फोन करके भी प्रहरी के सब वात जानकारी करावल जासकता । प्रहरी के सम्पर्क टोल फ्रि नं १६६००१४१५१६ह । यी नम्वर मे फोनकइला पर पैसा ना लागेला । प्रत्येक जिल्ला के प्रहरी कार्यालय मे यी सम्पर्क नं. सार्वजनिक जानकारी मे भी राखल वा ।

स्रोत: जातीय भेदभाव तथा छूवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ (UNOHCHR)

मानव अधिकार संरक्षण सम्वन्धि महत्वपूर्ण केही निकायहरूको सम्पर्क

राष्ट्रिय दलित आयोग
जावलाखेल, ललितपुर, काठमाडौं
फोन: ०१-५५३९१४८
फ्याक्स: ०१-५५३९१४८
ईमेल: info@ndc.gov.np

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
पुल्चोक, ललितपुर, काठमाडौं
फोन: ०१-५०१००९५
फ्याक्स: ०१-५५४७९७३
ईमेल: nhrc@nhrcnepal.org

राष्ट्रिय महिला आयोग
भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौं
फोन: ०१-४२५७७०१
फ्याक्स: ०१-४२५०२४६
ईमेल: info@nwc.gov.np

नेपाल प्रहरी मानव अधिकार इकाई
नक्साल काठमाडौं
फोन: ०१-४४१९६१८
फ्याक्स: ०१-४४१५५९३
ईमेल: hrcell@nepalpolice.gov.np

प्रकाशक

मधेशी दलित विकास महासंघ
क्षेत्रीय कार्यालय, सप्तरी
फोन: ०३१-५२३३६५
फ्याक्स:०३१-५२३३६५
mddlfh2062@gmail.com

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क
कैलाली, धनगढी
फोन: ०९१-५२०६०४
फ्याक्स:०९१-५२०६०४
rdnnepal@yahoo.com

जागरण मिडिया सेन्टर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं
फोन: ०१-५९७८८५९
फ्याक्स: ०१-५९७२६९७
info@jagaranmedia.org.np

समता फाउण्डेशन
सानेपा-२, ललितपुर
फोन: ०१-५५२०८४५
फ्याक्स: ०१-५५५४७५२
info@samatafoundation.org

नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ
बबुण्डोल, ललितपुर
फोन: ०१-५४३९९४९, ५५२३९९४
फ्याक्स: ०१-५५५४७५२
nndswo@wlink.com.np

URL: www.dalithumanrights.org.np

हार्दिक अपिल

सबके मानव अधिकार औरी आत्मसम्मान के साथ जिवन के खातिर
घर घर मे मानव अधिकार औरी बराबरी के बात कईल जाव ।
मानव अधिकार मैत्रि समाज औरी संस्कृति के विकास कईल जाव ॥

सभी व्यक्ति जन्मते अधिकार औरी आत्म सम्मान मे स्वतन्त्र आ समान होखेला ।

मानव अधिकार कथी ह ?

मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के एक जन्मजात अधिकार ह । जवन आदमी के आदमी होखे के नाता से स्वत प्राप्त होखेला । मानव अधिकार सबके समान रुप से उपभोग करेवाला अधिकार ह । रंग, जात, जाति, समुदाय, लिगं, सामाजिक उत्पती, धर्म, भाषा, राष्ट्रियता, उमेर, अपाङ्गता चाहे अन्य कौनो भी आधारमे विभेद रहित ढंगसे मानव अधिकार हरेक व्यक्ति के खातिर समान रुपसे कायम होखेला । हरेक आदमी के आत्म सम्मान के साथ जिये के हरेक के सरह समान व्यवहार मिलेके साथ ही विचार औरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता के हक, अपना के असर परेवाला विषय वस्तु निर्णय प्रकिया मे सहभागी होखेके, पौष्टिक आहार पेटभर खाए के, कमसेकम आधारभुत शिक्षा अनिवार्य रुपसे औरी निःशुल्क मिलेके अवसर, स्वास्थ्य सेवा, पेशा तथा रोजगारी छान्ने के अवसर आ स्वतन्त्रता आदी मानव के खातिर अधिकार ह । मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुन से सुरक्षित कईल गईल आ स्वतःस्फुर्त अधिकार ह ।मानव अधिकार परिपुर्ति नाभइल चाहे अधिकार के बाधा पहुचावल के बखत मे दावी करके पावल जा सकता ।

नेपाल के संविधानमे सबके खातिर मानव अधिकार के सकल्प

संविधान कवनो भी देश के मुलभुत कानुन ह । जवना के अनुसार ही अन्य या औरी कानुन, ऐन, नियम तथा निति निमार्ण होखेला । कोइ भी देश मे नागरीक या जनता के हक अधिकार सब संविधान मे व्यवस्था कईल गइल रहेला । जैसे अपने देश नेपालमे वि.स.२०७२ साल कुँवार ३ गते के जारी कईल गईल संविधान के धारा १६ से लेके ४६ तक के जम्मा ... ३१ गो धारा मे नागरीक के मौलिकहक के व्यवस्था वा । जवन संविधान के प्रस्तावना मे निम्न बमोजिम संकल्पित वा ।

- ❑ राज्य व्यवस्था सृजनाकईल गईल वा बनावल सभी प्रकार के विभेद औरी उत्पीडन के अन्त,
- ❑ अनेकता मे एकता, सामाजिक सास्कृतिक मे ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता औरी सदभाव के संरक्षण एवं सम्वर्द्धन
- ❑ वर्गीय, जातिय, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गीक विभेद औरी सभी प्रकारके जातिय छुवाछुत के अन्त्य
- ❑ आर्थिक समानता, सम्विद्ध साथै सामाजिक न्याय सुनिश्चित करके समानुपातिक समावेशी औरी सहभागीतामुलक सिध्दान्तके आधार पर समतामुलक समाजको निमार्ण ।

नेपाल के संविधान मे ३५ भाग, ३०८ धारा औरी ९ अनुसुचि वा ।

नागरीकके कर्तव्यसब :

अधिकार आ कर्तव्य एकगो सिक्का के दुगो पहलु ह । जवन नागरीक के मानव मानव अधिकार के मान सम्मान, सरक्षण, सम्वर्द्धन पुर्ण ग्यारेण्टी के साथ राज्य औरी एकर जिम्मेवारी संस्था सब के ह । जइसे राज्य अपना हरेक नागरीक के आत्मसम्मान पूर्ण जीवन यापन गुजारा प्राप्त करे के वातावरण सृजना करेके जिम्मेवारी होखेला ।नेपाल के संविधान धारा ४८ मे निम्न मुख्य ४ गो नागरीक कर्तव्य सब के बहुत बढ़िया ढंग से व्यवस्था कईल गईल बा ।

क) राष्ट्र के प्रति पुर्णरुपेण निष्ठावान और समर्पित होते हुए राष्ट्रियता सार्वभौमिकता औरी अखण्डता के रक्षा

ख) संविधान औरी कानुन के पालना करेके

ग) राज्य के आवश्यकता परला पर मे सेवा देवे के ।

घ) सार्वजनिक सम्पति के सुरक्षा एवं सरक्षण करे के ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विं.स. २०५७ साल जेठ १३ गते स्थापना भईल रहे । यी संवैधानिक आयोग ह । यी संस्था के अध्यक्ष औरी चार गो सदस्य सहित पाच जना ६ वर्ष के खातिर नियुक्त या वहाल कईल जाला । नेपाल के संविधान भाग २५ के धारा २४८ र २४९ मे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्वन्धी व्यवस्था वा । मानव अधिकार के सम्मान, सरक्षण आ प्रवर्द्धन एवं ओकर प्रभावकारी कार्यान्वयन के सुनिश्चित कईल गईल मानव अधिकार के कर्तव्य ह । मानव अधिकार आयोग राष्ट्रिय कार्ययोजना के अवस्था के स्वतन्त्र रुप मे अनुगमन करेला ।

"सवके खातिर घर घर मे मावन अधिकार" के मुल मर्म के आत्म साथ करे के यि हे यी शान्ति और विकास के आधार ह ।कहत मान्यता का साथ मानव अधिकार संस्कृतिके विकास करे के मानव अधिकार मैत्री वातावरण निमार्ण के मार्फत सब के अपना प्राप्त अधिकारके स्वतन्त्र रुप से उपभोग करे के पावे के स्थिति निमार्ण करे के लक्ष्य लेवल गईल वा ।

कवनो नागरीक के अपन अधिकार के बाधा भईल बखत आयोग मे दरखास्त दिवल जासकता । आयोग मानव अधिकार बाधा अवरोध पहुचावल घटना के खोजतलास करके, पिडित के उदार करके, कानुन बमोजिम क्षतिपुर्ति दिआवे के आदेश जइसन अधिकार प्रयोग करेला,मानव अधिकार आयोग अन्य कवनो आयोग से मिल के काम कर सकता ।सव किसमके मानव अधिकार हनन के घटना मे आयोग काम कर सकता ।आयोग के केन्द्रिय कार्यालय हरिहर भवन ललितपुर मे वा । अभी एकर ५ गो क्षेत्रिय कार्यालय औरी उप क्षेत्रिय कार्यालय सहित वा ।

राष्ट्रिय दलित आयोग

राष्ट्रिय दलित आयोग के स्थापना २०५८ साल चैत्र ६ गते भईल बाटे । यी आयोग दलित समुदायके हक अधिकार संरक्षण, प्रवर्द्धन औरी जातिय भेदभाव आ छुवाछुत क अन्त करे वाला काम खातिर स्थापित भईल वा ।

नेपाल के संविधान मे राष्ट्रिय दलित आयोग के संवैधानिक आयोग बनावल गईल वा । संविधान अनुसार यी आयोग मे अध्यक्ष आ औरी चार जना सदस्य ६ वर्ष खातिर बहाल होएके व्यवस्था बाटे । संविधानके धारा २५६ मे राष्ट्रिय दलित आयोग के काम कर्तव्य आ अधिकार उल्लेख कइल गइल वा । जातिय छुवाछुत उत्पीडन आ भेदभाव अन्त्य करके खातिर राष्ट्रिय निति तथा कार्यक्रम के तर्जुमा करके कार्यन्वयन खातिर नेपाल सरकार समक्ष पेश करेके औरी दलित समुदायके अधिकार से सम्वन्धीत कानुन प्रभावकारी कार्यन्वयन भइल कि ना भइल अनुगमन करे के नेपाल सरकार किहा सुझाव पेश करेके काम राष्ट्रिय दलित आयोग के मुख्य काम के रुपमे संविधान मे व्यवस्था कइल वा ।

जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ के कार्यव्यन खातिर भी राष्ट्रिय दलित आयोग के महत्वपुर्ण भुमिका बाटे । जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत के घटना मे पिडित के उजुरी प्रहरी यदि नालिइ तव दलित आयोग मार्फत समेत उजुरी करके न्याय खोजल जा सके वाला व्यवस्था यी ऐन मे कइल गइल वा ।

राष्ट्रिय महिला आयोग

राष्ट्रिय महिला आयोग के स्थापना २०५८ फागुन२३ गते भइल बाटे । महिला के अधिकार आ हितके संरक्षण और प्रवर्द्धन करके उ लोग के विकास के मुल प्रवाहमे प्रभावकारी समावेश करायेके एकर मुख्य उदेश्य ह । नेपाल के संविधान एकराके संवैधानिक आयोग बनाइल बाटे ।

राष्ट्रिय महिला आयोग लैङ्गीक समानतायुक्त समाजके परिकल्पना करेला जवन सभी महिलाके सुरक्षा, न्याय, पहचान आ आत्म सम्मान पुर्ण जिवन गुजारा कर सके ।

नेपालके संविधानके धारा २५३ मे राष्ट्रिय महिला आयोगके काम, कर्तव्य आ अधिकार सव उल्लेख कइल गइल बाटे । महिलाके हक हित से सरोकार रखेवाला निति तथा कार्यक्रम के तर्जुमा करके कार्याव्यन खातिर नेपाल सरकार मे पेश करेके महिला के हक हित से सम्वन्धीत कानुन वा नेपालके पक्षधर अन्तराष्ट्रिय सन्धी वा सम्झौता अन्तर्गत के दायीत्व कार्यान्वयन भइलकी नाभइल इ विषय मे अनुगमन करेके ओकर प्रभावकारी पालन वा कार्यान्यन के उपाय सहित नेपाल सरकार के सुझाव देवेके जइसन काम महिला आयोग के बाटे ।

यी आयोग महिला हिसां वा सामाजिक कुरीति स पिडित भइल या महिला अधिकार प्रयोग ना करे देवे वाला चाहे बन्चित करे के विषय मे कौनौ व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्धा दायर करेके जरुरत देखाला पर कानुन अनुसार मुद्धा दायर करे खातिर सम्वन्धीत निकाय समक्ष सिफारिस कर सकेला । महिला कल्याण सम्वन्धी निति तथा कार्यक्रम सवके तर्जुमा करके सरकारके सिफारीस करे खातिर आ विद्यमान निति सबके कार्यान्वयन के अनुगमन करेके काम भी महिला आयोग के बाटे ।

मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्य योजना केकरा के कहल जाला ?

नेपाल मे मानव अधिकार के सम्मान, सरक्षण औरी प्रवद्धन के खातिर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तह मे प्रतिवद्धता जनावते आइल बा ।यी सब प्रतिवद्धता के सफल कार्यान्वयन के खातिर अनेक कानुनी, नितिगत औरी सरचनागत व्यवस्था भी करते आइल बा ।

एकरे अनुसार नेपाल आर्थिक वर्ष २०६१।०६२ से मानव अधिकार के राष्ट्रिय कार्य योजना बना के कार्यान्वयन सुरु कईले बा । यी कार्य योजना से मानव अधिकार के संरक्षण ,सम्वर्द्धन करेके क्रियाशिल सब सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय के खातिर भी रास्ता देवले वा ।चौथौ मानव अधिकार राष्ट्रिय सम्मेलन २०७।०७२ से २०७५।०७६ हाल कार्यान्वयन हो रहल बा । यी कार्ययोजना के विशेष उदेश्य निम्न बमोजिम बा ।

१) मानव अधिकार के प्रतिवद्धता के व्यवहारीक रुप मे सुनिश्चित करे के खातिर ।

२) राष्ट्रिय तथा अन्त राष्ट्रिय दायित्व लागु करे के खातिर

३) मानव अधिकार के मुद्धा सब के संरचनागत ढंग से औरी कार्यान्यन कर के जोडे के खातिर

४) मानव अधिकार संस्कृति के विकास करेके खातिर ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना मे आम नेपाली जनता के मानव अधिकार संरक्षण आ प्रवर्द्धन करे खातिर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यसुरक्षा, मानव अधिकार शिक्षा, समावेशी विकास, सामाजिक सेवा औरी सुरक्षा, लगायत १८ गो विषय तथा क्षेत्र सव पहिचान कइल गइल वा । जिल्ला स्तरीय यी कार्य योजना के कार्यन्वयन औरी समन्वय के खातिर प्रमुख जिल्ला अधिकारी के संयोजकत्व मे "मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला स्तरीय समन्वय तथा कार्यान्वयन समिति रहेके व्यवस्था कईल गईल वा । समिति के बैठक प्रत्येक ३ महिना मे बैठेकेहोखेला । उहे समिति के प्रत्येक ३ महिना मे प्रधान मंत्री तथा मंत्री परिषदके कार्यालयमे प्रतिवेदन बुझावेके परेला ॥

जातीय भेदभाव आ छुवाछूत अन्त्यतथा दलित अधिकार प्रर्वद्धन सम्वन्धी कार्यविधी २०७३

नेपाल सरकार जातीय भेदभाव आ छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रर्वधन सम्वन्धी कार्य विधि २०७३ जारी कईल गईल वा । इहे कार्य विधि नेपालद्वारा अनुमोदन कईल जातीय भेदभाव सम्वन्धी अर्न्तराष्ट्रिय महासंन्धी १९६५ नेपाल के संविधान के धारा २४ मे उल्लेखित छुवाछूत और भेदभाव विरुद्ध के मौलिक हक तथा जातीय भेदभाव आ छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकारप्रवर्धन के खातिर उच्च स्तरीय तथा सर्व पक्षीय सहभागीता बढावे के चाहत वा ।एहसे जातीय भेदभाव आ छुवाछूत अन्त्य औरी दलित अधिकार प्रर्वधन खातिर केन्द्र से स्थानिय तह तक सयन्त्र बनावे खातिर आ उहे सयत्र सब के काम,कर्तव्य आ अधिकार सव स्पष्ट कइल गइल वा ।

केन्द्रीय स्तर मे प्रधानमन्त्री के संयोजकत्व मे उच्चस्तरीय समिति रहल वा । इ समिति जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत के अन्त्य सम्वन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा आ कार्यान्वयन खातिर नेपाल सरकार तथा केन्द्रिय सम्धी समिति, सम्वन्धीत मंत्रालय तथा निकाय सव के आवश्यक निर्देशन तथा सुझाव प्रदान करेला ।

केन्द्रिय स्तर मे मुख्य सचिव के संयोजकत्व मे केन्द्रिय समन्वय समिति रहेके व्यवस्था वा । यी समिति जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य खातिर नितिगत विषय मे उच्च स्तरीय समिति के सल्लाह तथा सुझाव देवे खातिर, कार्य योजना, अनुगमन तथा मुल्याकंन करेके लगायत जिल्ला समन्वय समिति तथा सम्वन्धित निकायके आवश्यक निर्देशन देवेके जइसन, महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह करेके परेला ।

जिल्ला स्तरीय सयन्त्रके रुपमे प्रमुख जिल्ला अधिकारी के संयोजकत्वमे जिल्ला समिति गठन होखेला । ऐहीमे स्थानिय विकास अधिकारी, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, जिल्ला सरकारी वकिल, महिला विकास अधिकृत, नेपाल बार एसोसियसन के जिल्ला अध्यक्ष संयोजक द्वारा मनोनित जिल्ला स्थित दलित अधिकार तथा सामाजिक क्षेत्र मे क्रियाशिल संघ संस्था के प्रमुख मध्ये कम्तीमे ३ जना महिला समेत ५ जना सदस्य आ जिल्ला विकास समिति के योजना अधिकृत सदस्य सचिव रहेके व्यवस्था कइल गइल वा ।